सं. 35034/3/2015-स्था.(घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 8 सितंबर, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषयः संशोधित सुनिश्चित करिअर उन्नयन स्कीम (एमएसीपीएस) के अधीन लाभ प्रदान करने पर वेतन का निर्धारण - व्यय विभाग के दिनांक 28.09.2018 के कार्यालय ज्ञापन में प्रावधान किए गए प्रविष्टि स्तर के वेतन के लाभ के विस्तार के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को एमएसीपीएस के दिशा-निर्देशों (दिनांक 19.5.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008 स्था.(घ) के संलग्नक-I का पैरा 4) का संदर्भ देने का निर्देश हुआ है जो यह प्रावधान करता है कि नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण के लाभों की इस स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन के समय पर भी अनुमति होगी अर्थात् वेतन में ऐसे उन्नयन के पूर्व आहरित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में कुल वेतन के 3% की वृद्धि होगी। उक्त दिशा निर्देश आगे यह भी प्रावधान करते हैं कि हालांकि नियमित पदोन्नति के समय वेतन का कोई और निर्धारण नहीं होगा यदि यह एमएसीपीएस के अधीन यथाअनुदानित समान ग्रेड वेतन में है। तथापि, वास्तविक पदोन्नति, यदि वह किसी उच्च ग्रेड वेतन वाले पद में होती है; के समय जैसा कि एमएसीपीएस के अधीन उपलब्ध है, कोई वेतन निर्धारण उपलब्ध नहीं होगा तथा केवल ग्रेड वेतन के अंतर को उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसे ही प्रावधान एसीपी स्कीम के अधीन वेतन के निर्धारण के लिए निर्धारित किए गए थे।

2. व्यय विभाग ने दिनांक 28.09.2018 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 8-23/2017–ई.III(क) जारी किया था, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान कर रहा है कि ऐसे पदों के संबंध में जहां 1.1.2006 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त हुए सीधी भर्ती वाले कार्मिकों के लिए प्रविष्टि वेतन, सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग क के खंड-II के अनुसार, संगत भर्ती नियमों में सीधी भर्ती के घटक के प्रावधान के कारण लागू हो जाता है, ऐसे केंद्र के सरकारी कर्मचारियों, जो 1.1.2006 को अथवा उसके पश्चात् पदोन्नति के माध्यम से ऐसे पदों पर नियुक्त हुए थे तथा जिनका वेतन सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2008 के नियम 13 के अधीन यथानिर्धारित वेतन, उक्त प्रविष्टि वेतन से कम रहता है; का वेतन 1.1.2006 को अथवा उसके पश्चात् होने वाली उनकी पदोन्नति की तारीख से ऐसे प्रविष्ट वेतन से कम नहीं होगा।

3. इस विभाग में इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि क्या सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग क के खंड-II के अनुसार सीधी भर्ती वाले कार्मिकों के लिए निर्धारित किए गए प्रविष्टि स्तर के वेतन के लाभ तथा व्यय विभाग के दिनांक 28.09.2018 के कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुसार 1.1.2006 को अथवा उसके पश्चात् पदोन्नति पर अनुमन्य किए गए लाभ को ऐसे मामलों में विस्तारित किया जा सकता है जहां कर्मचारियों को एसीपीएस के अधीन 31.8.2008 तक अथवा एमएसीपीएस के अधीन 1.9.2008 को या उसके पश्चात्, समान ग्रेड वेतन में, जो कि पदोन्नति पद के लिए लागू ग्रेड वेतन भी है, वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है तथा पदोन्नति वाले पद में सीधी भर्ती का एक घटक है; इस पर ध्यान दिए बगैर कि क्या कर्मचारी तदनंतर 1.1.2006 को या उसके पश्चात् उक्त पदोन्नति वाले पद पर पदोन्नत हुआ है या नहीं, क्योंकि एसीपीएस/एमएसीपीएस के अधीन एक बार नियत हुआ वेतन अंतिम होता है तथा वास्तविक पदोन्नति पर वेतन के पुनःनिर्धारण के अनुमति नहीं होती है। यह स्पष्ट किया जाता है, सीधी भर्ती वाले कार्मिकों के लिए व्यय विभाग के दिनांक 28.09.2018 के कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, निर्धारित किए गए प्रविष्टि स्तर के वेतन के लाभ एसीपीएस के अधीन 1.1.2006 से 31.08.2008 तक अथवा एमएसीपीएस में 1.9.2008 से 31.12.2015 तक (छठे सीपीसी की अवधि) के अधीन वित्तीय उन्नयन प्रदान करते समय अनुमत नहीं हो सकते, क्योंकि एसीपीएस/एमएसीपीएस के अधीन वित्तीय उन्नयन को कठोरता के साथ नियमित पदोन्नति के स्थानापन्न के रूप में नहीं माना जा सकता।

राजेश शर्मा

4. तथापि, इस शर्त के कारण कि वित्तीय उन्नयन प्रदान करने पर एक बार नियत किए गए वेतन को, एसीपीएस/एमएसीपीएस के दिशानिर्देशों में प्रावधान किए गए अनुसार, नियमित पदोन्नति के समय पुनः नियत नहीं किया जाता है; ऐसे में व्यय विभाग के दिनांक 28.09.2018 के कार्यालय ज्ञापन के अधीन अनुमत लाभ का ऐसे कर्मचारियों के लिए लाभ के विस्तार के मुद्दे; जिन्हें एसीपीएस के अधीन वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया था और तदनंतर उन्हें 1.1.2006 को या उसके पश्चात् नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया था अथवा जिन्हें एमएसीपीएस के अधीन वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया था और तदनंतर उन्हें 1.9.2008 और 31.12.2015 तक के मध्य समान ग्रेड वेतन वाले पद जिसमें उन्हें वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया था, में नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया था और जहां पदोन्नति वाले पद में सीधी भर्ती का घटक होता है तथा जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा उनकी नियमित पदोन्नति के समय आहरित वेतन, सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2008 की पहली अनुसूची के भाग क के खंड-II में सीधी भर्ती वाले कार्मिकों के लिए निर्धारित प्रविष्टि स्तर के वेतन से कम है, पर व्यय विभाग के परामर्श के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

5. तदनुसार, सीधी भर्ती के घटक वाले किसी पद पर 1.1.2006 से 31.12.2015 के मध्य पदोन्नति होने पर निम्नलिखित मामलों में, व्यय विभाग के दिनांक 28.09.2018 के कार्यालय ज्ञापन के अधीन अनुमत लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कर्मचारियों को उनकी नियमित पदोन्नति की तारीख को न्यूनतम प्रविष्टि स्तर के वेतन की समकक्ष अवस्था पर वेतन के पुनर्निर्धारण की अनुमति होगी, यदि उनके नियमित पदोन्नति की तारीख को उनका वेतन सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग क के खंड-II के अधीन सीधी भर्ती वाले कार्मिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रविष्टि स्तर के वेतन से कम होः-

(i) ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने 1.1.2006 के पूर्व एसीपीएस के अधीन वित्तीय उन्नयन अर्जित किया है और तदनंतर 1.1.2006 को या उसके पश्चात नियमित आधार पर पदोन्नत हुए हैं;

(ii) ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने 1.1.2006 और 31.08.2008 के मध्य एसीपीएस के अधीन वित्तीय उन्नयन अर्जित किया है और तदनंतर नियमित आधार पर पदोन्नत हुए हैं; और

(iii) ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने 1.9.2008 को या उसके पश्चात एमएसीपीएस के अधीन वित्तीय उन्नयन अर्जित किया है और तदनंतर नियमित आधार पर समान ग्रेड वेतन; जिसमें उन्हें वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है; वाले पद पर पदोन्नत हुए हैं।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वह इन अनुदेशों को सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

राजेश शर्मा

(राजेश शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

1. राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय/उच्चतम न्यायालय/ राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/संघ लोक सेवा आयोग/सीवीसी/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/ केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (प्रधान बैंच), नई दिल्ली।
2. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबंधित कार्यालय।
3. सचिव, कर्मचारी पक्ष राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13 सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), के सभी स्टॉफ सदस्य।
5. माननीय राज्य मंत्री (पीपी) के निजी सचिव को माननीय राजमंत्री (पीपी) के सूचनार्थ/सचिव (पी) के प्रधान स्टॉफ अधिकारी को सूचनार्थ।
6. एनआईसी [इस कार्यालय ज्ञापन को डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए] ('एसीपी स्कीम' शीर्षक के अंतर्गत)।